न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 25 / 2014

1 छीतरमल पुत्र कालूराम जाति बलाई निवासी वार्ड नम्बर 2 मोहल्ला आमलियोंका खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीक।

अपीलांट

बनाम

1 धन्नाराम पुत्र रामदेव।
2 शंकरलाल पुत्र जगदीश समस्त जाति कुम्हार निवासीगण फतेहपुरा भोमियांन तहसील श्रीमाधोपुर हाल तहसील खण्डेला जिला सीकर।
3 श्रीमती मेवा देवी पत्नी मंगलचन्द।
4 मुकेश कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद।
5 अशोक कुमार पुत्र धन्नाराम समस्त जाति माली निवासीगण मोहल्ला स्वामी की जोहड़ी वार्ड नम्बर 3 खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर।
6 अब्दुल फरीव खान पुत्र अब्दुल रज्जाक खान जाति पठान मुसलमान निवासी दायरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
7 भोलाराम गढ़वाल पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी कंवरपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
8 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर सीकर।
9 उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
10 तहसीलदार श्रीमाधोपुर हाल खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2009
अदालत सहायक कलेक्टर खण्डेला बउनवानी
दावा धन्नाराम आदि बनाम राजस्थान सरकार आदि
दावा संख्या 239/2008 अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

1. श्री विधाधर सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बनवारीलाल बरबड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 18-7-23

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 239/2008 में पारित निर्णय दिनांक 29.10.2009 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से भूमि खसरा नम्बर 205/6 रकबा 1.52 हैक्टर में से 0.62 हैक्टर तन ग्राम फतेहपुरा भौमियान तहसील श्रीमाधोपुर के संदर्भ में वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई वाद वादी डिक्री किया। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचाराधीन निर्णय से अपीलांट के हित प्रभावित हो रहे है। अपीलांट को पूर्व से इस निर्णय की जानकारी नहीं थी। अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रदान कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जावें। विवादित भूमि खसरा नम्बर 250/6 अपीलांट के माता–पिता के समय से कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादी रेस्पोडेन्ट का इस भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी के कब्जे काश्त का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने कब्जे की जांच किये विना अपीलांट को सुने बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमियां वादी के पिता रामदेव पुत्र बक्शाराम को 1975 में आवंटन हुई थी। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन व विवेचन कर विधि सम्मत रूप से निर्णय व डिक्री पारित किया है। विवादित भूमि पर अपीलांट के कब्जे काश्त व हक अधिकार का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपील मियाद बाहर है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमियां वादी के पिता रामदेव पुत्र बक्शाराम को 1975 में आवंटन हुई थी। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन व विवेचन कर विधि सम्मत रूप से निर्णय व डिक्री पारित किया है। विवादित भूमि पर अपीलांट के कब्जे काश्त व हक अधिकार का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार होना साबित नहीं है। अपील मियाद बाहर है। अपील अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18/07/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर